वित्तीय स्वीकृति

संख्या-22/2022/162/18-2-2022-30(2)/2004

प्रेषक

डा0 प्रदीप कुमार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 28 जून, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-3 के लेखाशीर्षक-2851--ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-06-जिला उद्योग केन्द्र योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर के पत्रांक-18/4-वित्त- बजट मांग/नि.प्र./2022-23, दिनांक 13-6-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-3 लेखाशीर्षक-2851--ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-06-जिला उद्योग केन्द्र योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 14037.78 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 9479.69 (रूपये चौरान्वे करोड़ उन्यासी लाख उनहत्तर हजार मात्र) मतदेय तथा भारित मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 4.00 लाख (रूपये चार लाख मात्र) निम्नलिखित विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं आवश्यकतानुसार उसे आहरित कर व्यय करने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

धनराशि लाख रूपये में

व्ययक मद की संख्या एवं नाम	प्राविधानित धनराशि	अवशेष स्वीकृत धनराशि
01-वेतन	9048.67	6048.67
02-मजदूरी	16.00	13.33
03-मंहगाई भत्ता	3438.49	2328.49
04-यात्रा व्यय	16.50	11.50
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6.60	4.60
06- अन्य भत्ते	11.00	7.67
07- मानदेय	2.00	1.33
08- कार्यालय व्यय	30.80	21.47

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

09-विद्युत देय	56.00	37.50
10- जलकर/ जल प्रभार	7.70	5.37
11- लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	17.00	11.33
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20.00	13.53
13-टेलीफोन पर व्यय	12.10	8.07
15-गाि डयों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आल्की खरीद	40.00	28.33
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25.00	25.00
17- किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	22.55	15.72
29- अनुरक्षण	100.00	66.67
42- अन्य व्यय-मतदेय	0.40	0.27
भारित	4.00	4.00
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	32.37	21.58
45- अवकाश यात्रा व्यय	8.00	5.33
46- कम्प्यूटर हार्ड वेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय	5.00	3.33
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्संबंधी स्टेशनरी क्रय	23.00	15.33
49- चिकित्सा व्यय	75.00	58.33
51- वर्दी व्यय	4.00	2.67
55-मकान किराया भत्ता	919.60	640.94
56-नगर प्रतिकर भत्ता	-	-
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	100.00	83.33
योग मतदेय	14037.78	9479.69
भारित	4.00	4.00

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित मानक मदों पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में नई मदों पर उपयोग नहीं किया जायेगा तथा अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यकतानुसार धनराशि का वितरण कर उसके आदेश की प्रति शासन के वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अधीनस्थ कार्यालयों को धनराशि वितरित करते समय उन्हें स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया जाय कि वित्त आय(आय-ब्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 एवं मितव्ययिता सम्बन्धी जारी शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा एवं अनावश्यक व्यय न किया जाय तथा व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 पर शासन के सम्बन्धित अनुभागों को प्रत्येक माह उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपरोक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-3 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102--लघु उद्योग-06-जिला उद्योग केन्द्र योजनान्तर्गत सुसंगत मानक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

डा0 प्रदीप कुमार
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, वित्तीय एंव सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अर्थ नियंत्रक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0 प्र0, कानपुर।
4- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, नियोजन अनुभाग-4
6- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

डा0 प्रदीप कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।